



रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4
लाहमेन्त सं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाहमेन्सडू पोस्ट विशउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित.

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 मई, 1988

वैशाख 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 609/सत्रह-वि-1-1(क)10-1988

लखनऊ, 13 मई, 1988

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 13 मई, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम सूचनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा वेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 13
सन् 1972 की
धारा 2 का
संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधि-
नियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (2) में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द "बीस वर्ष" के स्थान पर
शब्द "चालीस वर्ष" रख दिये जायें।

ब्राज्जा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 609(2)/XVII-V—1-1(KA)-10-1988

Dated Lucknow May 13, 1988

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shuhari Bhavan (Kiraya per Dene, Kiraya Tatha Bedakhali Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 13, 1988.

**THE UTTAR PRADESH URBAN BUILDINGS (REGULATION OF
LETTING, RENT AND EVICTION) (AMENDMENT) ACT, 1988**

(U. P. ACT No. 11 of 1988)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

It is hereby enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Amendment) Act, 1988.

Amendment of
section 2 of U. P.
Act No. 13 of
1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, in sub-section (2), in the second proviso, for the words "twenty years" the words "forty years" shall be substituted.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.